'सिविल विवाद को आपराधिक रंग देना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग'

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमीन के एक सौदे को लेकर दर्ज धोखाधड़ी की एफआइआर को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह मामला सिविल प्रकृति का है न कि आपराधिक। कोर्ट ने माना कि खरीदारों द्वारा पुराने अनुबंध के आधार पर दबाव बनाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जो कानून का दुरुपयोग है।

थाना गोबरा नवापारा में नौ जनवरी 2025 को दर्ज एफआइआर में पवन कुमार गर्ग, रवि कुमार गर्ग और रामजीत सिंह कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। एफआइआर में कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं ने 47 लाख प्रति एकड़ की दर से 15 एकड़ जमीन की बिक्री का अनुबंध किया था और 1.4 करोड़ अग्रिम लिया, लेकिन बाद में रजिस्ट्री नहीं कराई। कोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, जमीन का डाइवर्जन

समेत सभी प्रक्रिया याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में खरीदारों ने शेष राशि अदा कर रजिस्ट्री नहीं कराई, जिससे अनुबंध स्वतः समाप्त हो गया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने कहा कि अनुबंध के पालन में विफलता मात्र से आपराधिक मामला नहीं बनता। यह प्रयास केवल सिविल विवाद को आपराधिक रूप देने की साजिश है। हाईकोर्ट ने एफआइआर को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी।